**संख्या-9/2026/444/42-01099/59/2026**

**प्रेषक,**

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक 14-09-2026**

**विषय:-** जनपद बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्थित बैडमिन्टन हाल, जिम हाल, क्षतिग्रस्त बास्केटबाल कोर्ट, सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट का नवीनीकरण तथा खेल सुविधाओं का विकास कार्य के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/477187/2026/2025-26, दिनांक 20.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्थित बैडमिन्टन हाल, जिम हाल, क्षतिग्रस्त बास्केटबाल कोर्ट, सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट का नवीनीकरण तथा खेल सुविधाओं का विकास कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0 996.02 लाख का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करते हुए पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित लागत रू0 969.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-87- खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिय-24-वृहत निर्माण कार्य " मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 2000.00 लाख में से प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 4,84,61,000/-( रुपये चार करोड़ चौरासी लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>**

1. उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 4,84,61,000/- (रुपये चार करोड़ चौरासी लाख इकसठ हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।
2. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021 / फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021 / बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किस्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जा रही है, किन्तु द्वितीय किस्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किस्ते पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

5. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट / मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक / मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/202/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल / ऑडिट का प्रावधान किया गया है। अतः थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- 2/2026/ए-2-आई/1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश के क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ।/1405006/2026, दिनांक 22.07.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / निदेशक, खेल का होगा।
10. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
11. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
13. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
14. निदेशक, खेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृति, कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।
16. कार्यदायी संस्था / निदेशक, खेल द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
18. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19. निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
20. उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करेगें।
21. कार्यदायी संस्था नियमानुसार लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
22. निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
23. निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, बरेली द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
24. जी०एस०टी० आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,84,61,000 (रुपये चार करोड़ चौरासी लाख इकसठ हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038008700 खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिय मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-38-X-2026-27-दिनांक: 19-8-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

**<u>संख्या-9/2026/444/42-01099/59/2026, तद् दिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -**

1. महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बरेली।
5. क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, बरेली।
6. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन ।
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति ।

**आज्ञा से,**
**अवन्तिका प्रसाद राय**
संयुक्त सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in